... अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 19.11.2020 को पेश हो

19.11.2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 06.01.2021 को पेश हो
06/01/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 24/02/2021 को पेश हो
24/2/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 20/4/2021 को पेश हो
20/4/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 31.05.2021 को पेश हो
31.5.2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 26.7.2021 को पेश हो
26.07.2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अत पत्रावली दिनांक 15/9/2021 को पेश हो
30/7/2021	वकील प्रार्थी, प्रार्थिया के [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। [illegible] प्रार्थना पत्र में ज्ञापन किया है कि प्रार्थना पत्र को स्वेच्छा से आगे नहीं चलाना चाहते हैं [illegible] खारिज फरमाया जावे। प्रार्थ[illegible] गया है प्रार्थीगण [illegible] 212 Raj. Act [illegible] विड्रोल [illegible] किया जाता है [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

RCMS 2019/[illegible]

आदेश
सरोज
प्रा-पत्र-54/19
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)